न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तारानगर जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :—राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

अनुवान सुरेश बनाम इमीलाल आदि

वाद संख्या 113 वर्ष 2022

निर्णय दिनांक :— 21.02.2025

1. सुरेश पुत्र पन्ना राम बावरी जाट निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

—वादी—

बनाम

1. अमीलाल पुत्र आदुराम जाति मेघवाल निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
2. अर्जनराम पुत्र मंगतूराम जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
3. गुडी पत्नी भंवरलाल जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
4. भगवानाराम पुत्र मंगतूराम जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
5. भागुराम पुत्र मंगतूराम जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
6. रतिराम पुत्र देवाराम जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
7. रामस्वरूप पुत्र मंगतूराम जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
8. लिछमा पुत्री द्वारका जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
9. शिशराम पुत्र मामचन्द जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
10. सुगणा पत्नी द्वारका जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
11. सुण्डाराम पुत्र मंगतूराम जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
12. सुभाष पुत्र द्वारका जाति नायक निवासी सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू
14. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामींण भाखा सात्यूं तहसील तारानगर (चूरू)

—प्रतिवादीगण—

उपस्थिति :—

1. श्री अमित सिंह चारण एडवोकेट वास्ते वादी
2. श्री इस्फाक अली एडवोकेट वास्ते प्रतिवादी संख्या 2, 4 ता 7, 9, 11
3. राजपैरोकार वास्ते प्रतिवादी संख्या 13 तहसीलदार तारानगर

—:निर्णय:—

वादी द्वारा प्रस्तुत दावा का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कृषि भूमि खाता सं. 914 तथा ख.नं. 991 तादादी 3.9832 हैक्टेयर, ख.नं. 993 तादादी 9.3826 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 13.3658 हैक्टेयर वाके रोही सात्यूं तहसील तारानगर जिला चूरू में स्थित है यही विवादित कृशिभूमि है। इस भूमि में वादी 120/1057 हिस्से का सहखातेदार व सहकृषक है। शेष हिस्से के हकदार प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 तथा प्रतिवादी सं. 2, 4, 5, 7, 11 की माता पारी हैं। उक्त कृषिभूमि के खातेदार पारी पत्नी मंगतूराम का देहान्त हो चुका है जो प्रतिवादी संख्या 2, 4, 5, 7, 11 की माता है। जो उक्त रिकॉर्ड पर पहले से ही मौजूद है। उपरोक्त

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

आराजी में वादी अपने हिस्से की कृषिभूमि का सहखातेदार है तथा अपना हिस्सा काश्त भी करता है लेकिन खाता मुश्तरका (संयुक्त) होने के पक्षकारान के बीच भूमि काश्त के समय आसा पासा व किस्म को लेकर विवाद रहता हैं जिससे वादी अपना हिस्सा अच्छी तरह काश्त नहीं कर पाता हैं। इसलिए वादी अपने हिस्से का खाता बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् से अलग विभाजित करवाकर राजस्व रिकॉर्ड अलग से कायम करवाना चाहता है जिसके लिये यह विभाजन का वाद पेश किया जा रहा हैं।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा व अन्य लोगों से भी कहलवाया कि वे वाद में वर्णित भूमि का खाता अलग से विभाजित करवा कर राजस्व रिकॉर्ड अलग से कायम करवा देवें तो वे दिनांक 17.06.2022 को बमुकाम सात्यूं में ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये इसलिए यही तारीख वाद कारण है तथा वादाधार वादी को विवादित कृषि भूमि का सहखातेदार होने से प्राप्त है। आदि आदि।

इस प्रकार वादी ने वादपत्र पेश कर कृषि भूमि खाता सं. 914 तथा ख.नं. 991 तादादी 3.9832 हैक्टेयर, ख.नं. 993 तादादी 9.3826 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 13.3658 हैक्टेयर वाके रोही सात्यूं तहसील तारानगर ज़िला चूरू में अपने हिस्सा भूमि का खाता अलग से विभाजित करने का अनुतोष चाहा।

वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को ज़रिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02, 04 ता 07, 09, 11 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। इनका वकालतनामा श्री इस्फाक अली अधिवक्ता ने पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 01, 03, 08, 10, 12 पर रजिस्टर्ड सम्मन तामिल होने के बावजूद भी अनुपस्थित रहे अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अतः इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बाद सुनवाई दावा दिनांक 19.07.2023 को प्राथमिक डिकी किया गया तथा विवादित कृषिभूमि का खाता विभाजन तहसीलदार तारानगर से मंगवाया गया।

प्राथमिक डिकी की दिनांक 19.07.2023 की पालना में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ। विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। विभाजन प्रस्ताव को उभय पक्ष के अधिवक्ता ने सही होना स्वीकार किया तथा इसी के मुताबिक दावा अन्तिम डिकी करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण के कथनों पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव वादी के हक हिस्सा तक की भूमि का है जिसे तहसीलदार तारानगर ने तैयार किया है। विभाजन प्रस्ताव पर किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने से वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

Jayendra
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

—:: आदेश ::—

अतः वाद वादी बरूये विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर के खाता सं. 914 तथा ख.नं. 991 तादादी 3.9832 हैक्टेयर, ख.नं. 993 तादादी 9.3826 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल तादादी 13.3658 हैक्टेयर में से वादीके हिस्सा की कृषि भूमि का खाता विभाजन बरूये विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार किया जाता है

(1). विवादित कृषिभूमि रोही ग्राम सात्यूं तहसील तारानगर के ख.नं. 991 मीन 1.5174 हेक्टेयर भूमि जिसे विभाज़न प्रस्ताव (नक्शा) में बरंग काला से दर्शाया गया है, वादी सुरेश पुत्र पन्ना राम बावरी निवासी राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू के हक हिस्से में रहेगी।

(2). शेष भूमि अन्य पक्षकारों/खातेदारों के हक में उनके जमाबंदी में दर्ज हिस्सानुसार रहेगी। जिन खातेदारों की भूमि बैंक रहन है वह यथावत बैंक रहन रहेगी। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ प्रस्तुत नक्शा निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू

निर्णय आज दिनांक 21.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर चूरू